प्रतिष्ठानों के विरुद्ध जांच कराए जाने की मांग की थी; यदि हां, तो उन आरोपों की जांच का क्या परिणाम निकला ; और

(ख) क्या यह भी सच है कि केन्द्रीय राजस्व तथा बिहार सरकार के वाणिज्य कर विभाग के कुछ अधिकारियों ने उन प्रतिष्ठानों के साथ सांठ-गांठ करके उनके द्वारा करों की चोरी में सहायता की है ; यदि हां, तो क्या सरकार इस मामले की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा कराने का विचार रखती है ; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) और (ख) आयकर विभाग द्वारा की गई जांच-पड़ताल के तथ्यों के आधार पर भूतपूर्व संसद सदस्य द्वारा लगाए गए आरोप सिद्ध नहीं होते हैं ।

ईंट निर्माताओं द्वारा करों की चोरी

3888. **श्री अशोक नाथ वर्मा : क्या वित्त मंत्री** यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ वर्तमान तथा भतपूर्व संसद सदस्यों ने 21 मार्च, 1986 तथा 19 अगस्त, 1986 को पत्र लिखकर बिहार में ईंट निर्माताओं द्वारा केन्द्रीय राजस्व और बिहार सरकार के वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों के साथ सांठ-गांठ करके करोड़ों रुपये के करों को चोरी किये जाने के संबंध में जांच कराये जाने की मांग की थी ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) जांच में विलम्ब के क्या कारण हैं और इस संबंध में विभिन्न व्यक्तियों के विरुद्ध मदवार तथा जिलावार, कितनी धनराशि बकाया है ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी०के० गढ़वी) : (क) राजस्व विभाग को केवल एक भूतपूर्व संसद सदस्य से दो पत्र प्राप्त हुए थे।

(ख) और (ग) पत्रों में, ईंट निर्माताओं द्वारा तथाकथित कर अपवंचन का उल्लेख बहुत ही सामान्य और अपूर्ण तरीके से किया गया था । राज्य सरकार के सम्बंधित प्राधिकारियों से जांच-पड़ताल करने के बाद यह पाया गया कि एक ईंट निर्माता की आय निर्धारित करने के लिए अपनाई जाने वाली पद्धति के बारे में भूतपूर्व संसद सदस्य द्वारा दिया गया सुझाव ठीक नहीं था । जब कभी संवीक्षा के पश्चात ईंट निर्माताओं के कर-निर्धारण पूरे किये जाते हैं तो अन्य विभागों के संबंधित आंकड़ों को भी ध्यान में रखा जाता है । इसमें शामिल व्यक्तियों की संख्या को देखते हुए, विभिन्न व्यक्यिों की ओर बकाया प्रत्यक्ष करों की राशि की जानकारी देना कठिन होगा । तथापि, यदि माननीय सदस्य किसी व्यक्ति विशेष के संबंध में अपेक्षित सूचना चाहते हों, तो वह उपलब्ध कराई जा सकती है ।

किसानों को अनुदान तथा ऋण

3889. **श्री अशोक नाथ वर्मा : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कृषि उपकरणों की खरीद के लिए लघु तथा सीमांत किसानों को अनुदान और ऋण दिए जाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में विभिन्न बैंकों तथा सहकारी सोसाइटियों द्वारा अलग-अलग कितनी धनराशि के अनुदान तथा ऋण दिए गए ; और

(ग) ऐसे राज्यों तथा बैंकों/सहकारी सोसाइटियों के नाम क्या-क्या हैं और इन सुविधाओं से कितने किसानों को लाभ प्राप्त हुआ ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) वाणिज्यिक बैंक और सहकारी ऋण समितियां कृषि उपकरण और मशीनरी खरीदने के वास्ते